उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 124 / 2023--24 दिनांक : 26.09.2023

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र कुकरेती
(न्यायिक सदस्य)

श्री नवीन चन्द्र तिवारी
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री प्रेम वास्ते श्री तुलसी प्रसाद, परिवादी
कंजाबाग उमरूखुर्द, खटीमा।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, खटीमा।

निर्णय

परिवादी श्री प्रेम वास्ते श्री तुलसी प्रसाद का एक शिकायती पत्र दिनांक 02.08.2023 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–KH2K604063219 (02 किलोवाट घरेलू) जो उनके परिसर पर सन 1988 से लगा हुआ है। जिसका इलैक्ट्रानिक मीटर सन 2015 में लगाया गया है। इलैक्ट्रानिक मीटर लगने के बाद से ही उनका विद्युत बिल बहुत अधिक आ रहा है। इस सम्बन्ध में विभाग में शिकायत दर्ज कराई गयी तो उनके द्वारा घर की विद्युत खपत अधिक होना बताया गया। उसके उपरांत कोरोना काल में उनके द्वारा कई बार ऑनलाईन शिकायत की गयी जिसके बाद विभाग द्वारा दिनांक 18 जनवरी 2023 को विभाग द्वारा चैक मीटर लगाया गया तथा दिनांक 23.03.2023 को चैक मीटर उतारा गया। चैक मीटर में फाइनल किए जाने पर उनका पुराना मापक तेल चलता पाया गया जिस कारण चैक मीटर को ही मैन मीटर मानकर लगा दिया गया। लेकिन विभाग द्वारा चैक मीटर रिपोर्ट में आये अंतर के आधार पर विद्युत बिल सही नहीं किया गया इस सम्बन्ध में विभाग के कई चक्कर लगाये और कई बार ऑनलाईन शिकायत भी दर्ज करायी गयी फिर भी विभाग द्वारा विद्युत बिल सही नहीं किया गया। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने विद्युत बिल को चैक मापक रिपोर्ट के आधार पर संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

क्रमशः 2.....

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, खटीमा को अपने पत्र दिनांक 03.08.2023 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 11.08.2023 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 22.08.2023 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 22.08.2023, 05.09.2023 व 26.09.2023 को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्री अम्बिका यादव, उपखण्ड अधिकारी के तर्क सुने गए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियंता ने अपने पत्र संख्या–815 दिनांक 20.09.2023 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी का विद्युत मापक खराब होने के उपरान्त विद्युत प्रयोगशाला, सितारगंज द्वारा दिनांक 23.03.2023 को उनके परिसर पर विद्युत मापक स्थापित कर दिया गया था। परिवादी का विद्युत बीजक परिसर पर स्थापित विद्युत मापक के पाठयांक के आधार पर मैनुअली संशोधित कर रू0 10821.87 का बना दिया गया है। वर्तमान समय में परिवादी को विद्युत मापक के पाठयांक के आधार पर बिल निर्गत किए जा रहे हैं। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित बिल की गणना एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र कुकरेती) न्यायिक सदस्य	26/09/2023 (नवीन चन्द्र तिवारी) तकनीकी सदस्य	26/9/2023 (सुभाष चन्द्र भट्ट) उपभोक्ता सदस्य